उत्तर प्रदेश शासन
वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग
संख्या–एफ0सी0– 107/दस–2011–29/2010
लखनऊ : दिनांकः 25 मार्च, 2011

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत सहायता अनुदान तथा स्थानीय निकायों हेतु अनुदान के उपयोग की समीक्षा, हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित 'उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति' की दिनांक 18.03.2011 को आयोजित चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक– यथोक्त

(आर0 के0 वर्मा)
विशेष सचिव ।

1. प्रमुख सचिव, परिवार कल्याण।
2 प्रमुख सचिव, पंचायती राज ।
3. प्रमुख सचिव, नगर विकास ।
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण ।
5. प्रमुख सचिव, राजस्व ।
6. प्रमुख सचिव, वन ।
7. प्रमुख सचिव, नियोजन।
8. प्रमुख सचिव,सिंचाई।
9. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई ।
10 प्रमुख सचिव, न्याय।
11. प्रमुख सचिव, गृह(पुलिस)।
12. प्रमुख सचिव, कार्मिक ।
13. सचिव, कृषि विपणन ।
14. सचिव, बेसिक शिक्षा ।
15. सचिव, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत।
16. सचिव,सांस्कृतिक कार्य।
17. विशेष सचिव, वित्त (सेवायें) अनु0–3 ।
18. संयुक्त सचिव, वित्त (सामान्य) अनु0–3 ।

संख्या–एफ0सी0– 107 (1)/दस–2011–29/2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव के सूचनार्थ ।
2.. निजी सचिव, प्रमुख सचिव,वित्त, को प्रमुख सचिव के सूचनार्थ ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त (द्वितीय) को प्रमुख सचिव के सूचनार्थ।

(आर0के0वर्मा)
विशेष सचिव।

2/–

संख्या–एफ0सी0– १०७ (2) / दस–2011–29 / 2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, ब्लाक नं0–11, पंचम तल, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 ।
2. संयुक्त सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, छठवां तल, सम्राट होटल, चाणक्य पुरी,नई दिल्ली–110021 ।
3. संयुक्त सचिव, न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय,भारत सरकार, जैसलमेर हाउस,26, मानसिंह रोड नई दिल्ली–110011 ।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।
5. संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, भारत सरकार, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 ।
6. अध्यक्ष, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू0आई0डी0ए0आई0), योजना आयोग,भारत सरकार, तीसरा तल, टावर–II, जीवन भारती भवन, कनाट सर्कस, नई दिल्ली–110001 ।

(आर0के0वर्मा)
विशेष सचिव।

3. यह स्वीकृति वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी0–1–901/दस–2011–231/2011 दिनांक 21.03.2011 में उल्लिखित शर्तो एवं प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, जिनका कड़ाई से पालन किया जाए।

4. उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अतः व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

5. वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर परचेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित तद्विषयक आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आहरण कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

7. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मिव्ययिता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्याः सी0ए0–1004/दस–2003–सं0वि0मि0–1/2003 दिनांक 11 अगस्त, 2003 का विशेष रूप से पालन किया जाय ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

8. तत्संबंधी व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–40 के लेखाशीर्षक–"3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांयिख्यकीय–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय–आयोजनेत्तर–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या निदेशालय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

9. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2012 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन–2 को प्रेषित किया जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः 1144/X/2011 दिनांक 16.11. 2011 की सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(पी0एन0सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 3570 (1)/35–2–2011–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्यनिष्ठ भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एन0सिंह)
संयुक्त सचिव।

संस्तुत अनुदान एवं अपेक्षित कार्यवाही की विभागवार समीक्षा की गयी जिसका विवरण अनुवर्ती प्रस्तरों में अंकित है:–

1. **<u>प्राथमिक शिक्षा के लिये अनुदानः–</u>** प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में समिति के समक्ष रखी गयी कार्ययोजना की दो मदों, निशुल्क पाठ्य पुस्तकों तथा अतिरिक्त शिक्षकों का वेतन, को अनुमोदित कर दिया गया था। शेष एक मद के सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये थे कि अनुदान राशि से विशेष मरम्मत के कार्य करायें । *तद्नुसार विभाग द्वारा लघु मरम्मत, रगाई पुताई एवं रख–रखाव को सम्मिलित करते हुए विशेष मरम्मत हेतु 05 वर्षो में रू0 545.00 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव किया गया, जो समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया।*

वर्ष 2010–11 हेतु भारत सरकार से प्राप्त अनुदान रू0 723.00 करोड़ के उपयोग के सम्बन्ध में विभाग के स्तर से अवगत कराया गया कि वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी कर दी गयी हैं तथा धनराशि का व्यय वेतन की मद में किया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया कि भारत सरकार से प्राप्त अनुदानराशि का पूर्ण उपयोग जून, 2011 के प्रथम सप्ताह तक कराकर निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।

(कार्यवाही– बेसिक शिक्षा विभाग)

<u>2. वन संबंधी अनुदानः–</u> प्रमुख सचिव, वित्त ने अवगत कराया कि इस मद में वर्ष 2010–11 हेतु संस्तुत रू0 10.06 करोड़ की पूर्ण धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है जिसके व्यय की सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जानी है। सचिव, वन ने सूचित किया कि रू0 10.06 करोड़ के सापेक्ष 6.00 करोड़ की स्वीकृतियॉ जारी की जा चुकी हैं जिसके सापेक्ष 3.70 करोड़ व्यय कर लिये गये हैं और शेष रु0 2.30 करोड़ का उपयोग किया जा रहा है। रू0 4.00 करोड़ की स्वीकृतियॉ जारी की जानी शेष हैं। मुख्य सचिव द्वारा विभाग को निर्देश दिये गये कि शेष 4.00 करोड़ की धनराशि की स्वीकृतियॉ जारी कराकर जून 2011 के प्रथम सप्ताह के पूर्व पूर्ण धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कराकर वॉछित उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय। सचिव, वन द्वारा अवगत कराया गया कि आयोग द्वारा निर्धारित शर्त के परिपालन में विभिन्न फारेस्ट जोन के लिए वर्किग प्लान विकसित कर अनुमोदित कराने की कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही–वन विभाग)

<u>3. यू0 आई0 डी0 के लिये प्रोत्साहन अनुदानः–</u> प्रमुख सचिव, वित्त ने कहा कि वर्ष 2010–11 हेतु संस्तुत अनुदान की प्रथम किस्त रू0 59.00 करोड़ भारत सरकार द्वारा अवमुक्त कर दी गयी है जिसके उपयोग की सूचना भारत सरकार को भेजे जाने पर ही शेष रू0 59.00 करोड़ की द्वितीय किस्त प्राप्त हो सकेगी। विभाग से व्यय की सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा विगत बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुदान के

उपयोग हेतु वॉछित कार्ययोजना/रोडमैप भी अप्राप्त है। मुख्य सचिव ने स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति होने जा रही है किन्तु इस बिन्दु पर कार्यवाही अत्यन्त शिथिल रही है। आयुक्त, खाद्य एव रसद द्वारा अवगत कराया गया कि वॉछित कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है, जो राज्य स्तरीय यू0आई0डी0 क्रियान्वयन समिति के समक्ष रखी जायेगी। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि इस बिन्दु पर भी पुर्नविचार कर लिया जाय कि मात्र खाद्य रसद विभाग को नोडल विभाग रखा जाय अथवा किसी अन्य एजेन्सी को इस कार्य में सम्मिलित किया जाय ताकि क्रियान्वयन में तेजी लायी जा सके। इसके साथ ही खाद्य एवं रसद विभाग से कार्यों को समय से पूर्ण करने की वचन बद्धता (Commitment) भी ले ली जाय ।

(कार्यवाही–नियोजन विभाग)

4. न्याय व्यवस्था में सुधार हेतु अनुदानः– प्रमुख सचिव, वित्त ने स्पष्ट किया कि दिनांक 17.12.2010 को न्याय की उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में विभाग की कार्ययोजना अनुमोदित कर दी गयी थी जिसे न्याय विभाग द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया गया है। वर्ष 2010–11 हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त रू0 129.15 करोड़ के उपयोग की स्थिति के सम्बन्ध में विशेष सचिव, न्याय द्वारा अवगत कराया गया कि वॉछित स्वीकृतियॉ जारी कर दी गयी हैं तथा जून 2011 के प्रथम सप्ताह तक धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(कार्यवाही–न्याय विभाग)

5. सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के लिये डाटाबेस स्थापित करने हेतु अनुदानः– प्रमुख सचिव, वित्त ने अवगत कराया कि वर्ष 2010–11 हेतु अवमुक्त अनुदान राशि रू0 2.50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी कर दी गयी हैं तथा इस धनराशि का उपयोग ससमय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(कार्यवाही– वित्त विभाग)

6. ग्रिड से जुड़ी अक्षय ऊर्जा के लिये प्रोत्साहन अनुदानः– विभाग द्वारा गत बैठक में मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में विभिन्न स्रोतों से क्षमता परिवर्धन के वित्त पोषण का उल्लेख करते हुए विस्तृत कार्ययोजना उपलब्ध करा दी गयी। *समिति द्वारा विभाग की उक्त कार्ययोजना अनुमोदित कर दी गयी* जिसमें वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक कुल 604 मेगावाट क्षमता परिवर्धन का लक्ष्य रखा गया है जिससे लगभग रू0 453.29 करोड़ के प्रोत्साहन अनुदान की प्राप्ति का अनुमान किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव वित्त ने स्पष्ट किया कि प्रदेश को मिलने वाली वास्तविक अनुदान राशि समस्त राज्यों की उपलब्धि के आधार पर भारत सरकार द्वारा आंकलित की जायेगी।

(कार्यवाही–अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग)

7. जलक्षेत्र प्रबंधन के लिये अनुदानः– इस मद की अनुदान राशि रू0 341.00 करोड़ वर्ष 2011–12 से अवमुक्त होगी। प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुदान के उपयोग की 04 वर्षो की कार्ययोजना पूर्व में उपलब्ध करायी गयी थी जिसमें वित्त विभाग द्वारा कतिपय विसंगतियॉ इंगित करते हुए संशोधित कार्ययोजना उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। सिंचाई विभाग द्वारा संशोधित कार्ययोजना बैठक में उपलब्ध करा दी गयी। प्रमुख सचिव, वित्त ने स्पष्ट किया कि आगामी वर्षो में अनुदान की अवमुक्ति हेतु 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित वसूली दरें प्राप्त करने अथवा जल विनियामक प्राधिकरण (Water Regulatory Authority) द्वारा अनुमोदित दरों का कम से कम 50 प्रतिशत वसूलने की शर्त रखी गयी है। इस बिन्दु पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, सिंचाई ने अवगत कराया कि जल विनियामक प्राधिकरण से जल प्रभार अनुमोदित कराने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। आयोग की संस्तुति के अनुसार यदि इन अनुमोदित दरों के 50 प्रतिशत तक की वसूली सुनिश्चित कर ली जाती है तो प्रदेश द्वारा इस शर्त का परिपालन कर लिया जायेगा।

(कार्यवाही–सिंचाई विभाग)

8. शिशु मृत्युदर घटाने के लिये प्रोत्साहन अनुदानः–

प्रमुख सचिव, वित्त ने अवगत कराया कि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा आई0एम0आर0 में सुधार हेतु समस्त राज्यों के लिए कुल रू0 5000 करोड़ का अनुदान संस्तुत किया गया है जिसकी अवमुक्ति राज्यों द्वारा आयोग की अवधि के अन्तिम तीन वर्षो में शिशु मृत्यदर घटाने में किये गये सुधार पर निर्भर करेगी। आई0एम0आर0 में सुधार की कार्ययोजना समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयी जिसके सम्बन्ध में प्रमख सचिव, परिवार कल्याण द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान स्थिति के अनुसार प्रदेश में आई0एम0आर0 घटाने में सुधार दृष्टिगत हुआ है जिससे वॉछित लक्ष्यों की प्राप्ति ससमय कर ली जायेगी। *समिति द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना अनुमोदित कर दी गयी है।*

(कार्यवाही–स्वास्थ्य विभाग)

9. जिला नवीकरण कोष के लिये अनुदानः– इस मद के अन्तर्गत रू0 70.00 करोड़ की धनराशि 04 वर्षो में प्रदेश को प्राप्त होनी है जिसके उपयोग की कार्ययोजना/मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार किये जाने हैं। *बैठक में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि इस योजना का कार्यान्वियन राजस्व विभाग, के स्थान पर नियोजन विभाग द्वारा कराया जाय।* इस सम्बन्ध में भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार नियोजन विभाग को अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिये गये।

(कार्यवाही–नियोजन विभाग)

10. सॉख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु अनुदानः– नियोजन विभाग द्वारा सॉख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु संस्तुत अनुदान के उपयोग हेतु रू0 70.00 करोड़ की

05 वर्षो की कार्ययोजना *समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गयी, जो अनुमोदित कर दी गयी ।*

(कार्यवाही– नियोजन विभाग)

11. सड़कों एवं पुलों के रख–रखाव हेतु अनुदानः– प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अवगत कराया कि प्रशासकीय विभाग से प्राप्त कार्ययोजना दिनांक 24.11.2010 को आयेाजित समिति की बैठक में अनुमोदित कर दी गई हैं, जिसे भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया है । यह अनुदान राशि वर्ष 2011–12 से अवमुक्त होगी जिसके लिए आय–व्ययक में वॉछित धनराशि का प्राविधान करा लिया गया है जिसका उपयोग विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।

(कार्यवाही– लोक निर्माण विभाग)

12. राज्य विशिष्ट अनुदान :– प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि समिति की पूर्व बैठकों में लोक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग एवं लघु सिंचाई विभाग की कार्ययोजनायें अनुमोदित कर दी गयी थीं जो भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी हैं। शेष गृह (पुलिस), सांस्कृतिक कार्य तथा कार्मिक विभाग की संशोधित कार्य योजनायें प्राप्त हो गयी हैं जो समिति के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं। कृषि विपणन विभाग की संशोधित कार्ययोजना बैठक के पूर्व उपलब्ध करायी गयी, जो परीक्षणोंपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की जायेंगी। *समिति द्वारा गृह (पुलिस), सांस्कृतिक कार्य तथा कार्मिक विभाग की कार्ययोजनाओं को विचार–विमर्श के उपरान्त अनुमोदित किया गया।*

13. स्थानीय निकायों हेतु अनुदान :– प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2010–11 हेतु संस्तुत सामान्य बुनियादी अनुदान (general basic grant) की पूर्ण धनराशि भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है। प्रथम किस्त के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को भेज दिये गये हैं तथा अनुदान की द्वितीय किस्त के उपयोग की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जून, 2011 तक भारत सरकार को प्रेषित की जानी है। प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं सचिव, पंचायती राज द्वारा द्वितीय किस्त के उपयोग की सूचना ससमय वित्त विभाग को उपलब्ध कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

प्रमुख सचिव, वित्त ने अवगत कराया कि वर्ष 2011–12 में सामान्य निष्पादन अनुदान (general performance grant) की प्राप्ति हेतु आयोग द्वारा निर्धारित 09 शर्तो पर कार्यवाही पूर्ण कराकर 31 मार्च, 2011 तक भारत सरकार को सूचित किया जाना है।

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 09 शर्तो में से शर्त संख्या–3 एवं 5, कमशः "स्वतंत्र स्थानीय निकाय लोकपाल की व्यवस्था कायम करने" एवं "राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अर्हता के निर्धारण" से संबंधित हैं, पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, जिसकी सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है ।

शर्त संख्या–1, 4, 6 एवं 7 क्रमशः "बजट दस्तावेज की संगत अनुपूरक सामग्री प्रस्तुत करने तथा सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में लेखांकन प्रणालियॉ शुरू कराया जाना", "भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि का 05 दिन के भीतर निकायों को इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर की व्यवस्था", "सभी स्थानीय निकायों द्वारा सम्पत्ति कर लगाये जाने की व्यवस्था" तथा "राज्य स्तरीय सम्पत्ति कर बोर्ड स्थापित किया जाना", पर कार्यवाही लगभग पूर्ण कर ली गयी है । इन शर्तों के कार्यान्वयन की सूचना भारत सरकार को भेजने की कार्यवाही की जा रही है ।

शर्त संख्या–2, जिसके अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का कार्य CAGs (DPC) Act 1971, की धारा 20(I) के अन्तर्गत सौंपे जाने पर राज्य सरकार को निर्धारित प्रारूप पर अपनी सहमति देनी है, के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

प्रमुख सचिव, वित्त ने अवगत कराया कि नगरीय स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था है, किन्तु ग्रामीण निकायों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधायिका के समक्ष रखे जाने की व्यवस्था की जानी है। इस संबंध में सचिव, पंचायती राज द्वारा अवगत कराया गया कि न्याय विभाग के परामर्श से उक्त व्यवस्था हेतु पंचायती राज एक्ट के तहत बनाये गये नियमों में यथा वांछित संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जो मा0 मंत्रि परिषद की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

शर्त संख्या–8 जिसके अन्तर्गत विभिन्न सेवा क्षेत्रों हेतु मानक निर्धारित किये जाने हैं, के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि वांछित कार्यवाही अन्तिम चरणों में है, जो एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जायेगी।

शर्त संख्या–9 के अन्तर्गत नगर निगम क्षेत्रों में आग के खतरे से निपटने हेतु अग्नि उपशमन योजना बनाये जाने के संबंध में नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगमों से वांछित योजना प्राप्त कर ली गयीं हैं, जिसे गृह (अग्नि शमन) विभाग की सहमति से अन्तिम रूप देने की कार्यवाही की जा रही है।

(कार्यवाही–पंचायती राज/नगर विकास विभाग)

अन्त में उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए मुख्य सचिव द्वारा बैठक का समापन किया गया।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची संलग्न है।

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत सहायता अनुदान एवं स्थानीय निकाय अनुदान के उपयोग की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 18–03–2011 को आयोजित ''उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति'' की चतुर्थ बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची।

क.सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम
1	2	3	4
	सर्वश्री / सुश्री		
1	अनूप मिश्र	प्रमुख सचिव	वित्त
2	मनजीत सिंह	प्रमुख सचिव	नियोजन
3	किशन सिंह अटोरिया	प्रमुख सचिव	सिंचाई
4	प्रदीप शुक्ला	प्रमुख सचिव	परिवार कल्याण
5	अलोक रंजन	प्रमुख सचिव	नगर विकास
6	सुशील कुमार	प्रमुख सचिव	लघु सिंचाई
7	बी0 एस0 भुल्लर	प्रमुख सचिव	वित्त
8	राजन शुक्ला	आयुक्त	खाद्य एवं रसद
9	आलोक कुमार	सचिव	पंचायतीराज
10	अखिलेश कुमार	सचिव	नेडा
11	अवनीश कुमार अवस्थी	सचिव	संस्कृति
12	पवन कुमार	सचिव	वन
13	राजेश कुमार सिंह	सचिव	कृषि विपणन
14	आर0के0 वर्मा	विशेष सचिव	वित्त
15	चन्द्र प्रकाश	विशेष सचिव	खाद्य एवं रसद
16	आर0 पी0 मिश्र	विशेष सचिव	गृह
17	एस0एस0 हसीब	विशेष सचिव	न्याय
18	डी0 के0 सिंह	विशेष सचिव	बेसिक शिक्षा
19	श्रीमती हिमांशू सिंह	विशेष सचिव	नियोजन
20	श्रीश दुबे	संयुक्त सचिव	राजस्व
21	जी0पी0एन0 दिवेद्वी	उप सचिव	कार्मिक